भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-200

उत्तर देने की तारीख-03/02/2025

विद्यालयों में बालिकाओं की संख्या में वृद्धि करने के लिए पहल

†200. **श्री सी. एन. अन्नादुरई :**

श्री जी. सेल्वम :

श्री नवसकनी के.:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत विद्यालयों में बालिकाओं के नामांकन और उन्हें स्कूल में बनाए रखने की राज्य/संघ राज्यक्षेत्रवार वर्तमान दर कितनी है;

(ख) सरकार द्वारा समग्र शिक्षा के अंतर्गत विशेषकर माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक स्तरों पर बालिकाओं के नामांकन में वृद्धि करने के लिए क्या विशिष्ट पहलें की गई हैं;

(ग) क्या इस योजना के अंतर्गत बालिकाओं के लिए कोई छात्रवृत्ति, प्रोत्साहन अथवा वित्तीय सहायता विद्यमान हैं और यदि हां, तो विगत पांच वर्षों के दौरान लाभान्वित होने वाली बालिकाओं की वर्ष-वार संख्या कितनी है;

(घ) क्या बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इस योजना के अंतर्गत समुदायों को शामिल करके जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं; और

(ङ) विद्यालयों में बालिकाओं की उपस्थिति को प्रोत्साहित करने के लिए पृथक् शौचालय, स्वच्छता संबंधी सुविधाएं और सुरक्षित स्थान जैसी लैंगिक दृष्टि से संवेदनशील अवसंरचना सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जयन्त चौधरी)

(क): समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत स्कूलों में लड़कियों के वर्तमान नामांकन और प्रतिधारण दर का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण अनुलग्नक में है।

(ख) और (ग): समग्र शिक्षा के अंतर्गत लड़कियों के लिए विभिन्न पहलों को लक्षित किया गया है, जिसमें लड़कियों की पहुंच को सुगम करने हेतु पड़ोस में स्कूल खोलना, कक्षा आठ तक की लड़कियों को निःशुल्क यूनिफॉर्म और पाठ्य-पुस्तकें, सरकारी स्कूलों की कक्षा VI से XII तक की लड़कियों को आत्मरक्षा प्रशिक्षण, दूरदराज/पहाड़ी क्षेत्रों में शिक्षकों के लिए अतिरिक्त शिक्षक और आवासीय क्वार्टर, महिला शिक्षकों सहित अतिरिक्त शिक्षकों की नियुक्ति, कक्षा I से कक्षा XII तक की सीडब्ल्यूएसएन लड़कियों को एक वर्ष में 10 माह तक 200 रुपये प्रति माह वजीफा, लड़कियों के लिए अलग शौचालय, लड़कियों की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए शिक्षक संवेदीकरण कार्यक्रम, पाठ्य पुस्तकों आदि सहित लैंगिक रूप से संवेदनशील शिक्षण-अधिगम सामग्री आदि शामिल हैं।

इसके अतिरिक्त, समानता के तहत विभिन्न पहलों के लिए विशेष राज्य-विशिष्ट परियोजनाओं को भी महत्व दिया गया है, ताकि नामांकन अभियान, प्रतिधारण और प्रेरणा शिविरों, लैंगिक संवेदनशीलता मॉड्यूल आदि को बढ़ावा देकर लड़कियों के लिए पहुंच, प्रतिधारण और गुणवत्ता में सुधार किया जा सके। ऐसी परियोजनाओं में जीवन कौशल, जागरूकता कार्यक्रम, इंसीनेरेटर, सैनेटरी पैड वेंडिंग मशीनें आदि शामिल हैं।

स्कूल शिक्षा के सभी स्तरों पर लैंगिक अंतर को कम करने के लिए, समग्र शिक्षा के तहत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों (केजीबीवी) का प्रावधान है। केजीबीवी वंचित समूहों जैसे एससी, एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यक और गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) की लड़कियों के लिए कक्षा VI से XII तक के आवासीय विद्यालय हैं।

विगत पांच वर्षों में वजीफा प्राप्त करने वाली सीडबल्यूएसएन लड़कियों का वर्षवार ब्यौरा इस प्रकार है:

				(लाख रुपये में)
2020-21	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**	**2024-25**
4.65	6.12	5.8	5.57	5.50
				(स्रोत: प्रबंध)

(घ): राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी), 2020 बच्चे को उचित रूप से सीखने और अधिगम परिणामों को प्राप्त करने में सहायता करने हेतु समुदाय और अभिभावकों की भागीदारी पर बल देती है। समग्र शिक्षा के तहत, गुणवत्ता और नवाचार पहलों के तहत सामुदायिक सक्रियता का प्रावधान है। समुदाय की सहायता से, स्कूल न जाने वाली अथवा पढ़ाई छोड़ चुकी लड़कियों की पहचान और उन्हें औपचारिक शिक्षा प्रणाली में वापस लाने हेतु प्रत्येक वर्ष शैक्षणिक सत्र की शुरुआत में नामांकन अभियान चलाया जाता है। अभिभावकों को समग्र शिक्षा के विभिन्न प्रावधानों के संबंध में सूचित किया जाता है जो जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से शिक्षा की वित्तीय बाधाओं को कम करने में सहायता करता है।

(ङ): समग्र शिक्षा के तहत स्कूलों में लड़कियों के लिए अलग शौचालय का प्रावधान है। यूडाईज़+ 2023-24 के अनुसार, 97.2% सरकारी स्कूलों में लड़कियों के लिए अलग शौचालय हैं।

*****

अनुलग्नक

माननीय संसद सदस्य श्री सी. एन. अन्नादुरई, श्री जी. सेल्वम, श्री नवसकनी के. द्वारा 'विद्यालयों में बालिकाओं की संख्या में वृद्धि करने के लिए पहल' के संबंध में दिनांक 03.02.2025 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 200 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

क्र सं	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	लड़कियों का नामांकन (सभी प्रबंधन) स्कूल (2023-24)				लड़कियों की प्रतिधारण दर (सभी प्रबंधन) - 2023-24			
		प्राथमिक	उच्च प्राथमिक	माध्यमिक	उच्च माध्यमिक	प्राथमिक	प्रारम्भिक	माध्यमिक	उच्च माध्यमिक
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	11663	8215	5677	5346	91.7	95.4	87.9	81.8
2	आंध्र प्रदेश	1651428	1076729	693690	514005	100.4	96.5	90.2	58.8
3	अरुणाचल प्रदेश	70558	39964	22221	15005	56	43.9	34.3	20.9
4	असम	1619769	902802	538873	258875	78.7	60.4	51.5	25.6
5	बिहार	5400064	2782793	1284075	835621	105.8	77.5	59.6	30.2
6	चंडीगढ़	40533	29500	19079	19545	118.4	133.8	112.2	121.5
7	छत्तीसगढ	1214574	722754	422726	309982	93.5	83.2	68	51.3
8	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	28541	16586	10514	6141	94.4	95	84.1	76.1
9	दिल्ली	803758	545262	339792	298496	114.1	116.8	85.3	86.4
10	गोवा	56332	34821	22274	19846	94.8	92.1	85.2	80.8
11	गुजरात	2190612	1477051	773819	505413	96.5	90.9	69.5	45.8
12	हरियाणा	1028748	673062	400736	313205	97.6	99.4	86.4	68.6
13	हिमाचल प्रदेश	249843	158595	106542	91437	94.9	94.8	91	82.1
14	जम्मू और कश्मीर	508287	270040	162820	115202	78.5	74.9	57.1	34.7
15	झारखंड	1613557	926616	488543	332601	83.8	73.8	51.7	33.7
16	कर्नाटक	2512173	1522077	1006353	645211	98.4	92.3	89.7	61.9
17	केरल	1111939	729748	486212	446525	95.5	96.7	98.8	93.1
18	लद्दाख	10826	5923	4230	2270	81.1	72	91.1	47.6
19	लक्षद्वीप	2505	1456	833	800	102.4	93	102.9	108.2
20	मध्य प्रदेश	3184678	1910385	1018385	679549	84.9	78.5	52.8	32.4
21	महाराष्ट्र	4385773	2601694	1686283	1323149	93	90.7	84.8	68.5
22	मणिपुर	141429	69288	42451	31638	61.7	52.5	45.7	32.1
23	मेघालय	244695	115426	61485	31576	58.1	41.3	37.1	23.9
24	मिजोरम	62783	32354	20576	12807	59.6	53.4	45.9	27.6
25	नगालैंड	78368	44101	27490	20336	66.7	57.5	42.8	31.2
26	ओडिशा	1641941	1034948	610105	459009	101.4	87.6	77.2	51.1
27	पुदुचेरी	40993	27811	19059	18083	94	91.4	93.7	86.7
28	पंजाब	1029260	605113	383620	341730	91.9	85.8	78.1	69.6
29	राजस्थान	3470764	1958854	1136453	878417	83.8	74.6	60.7	50.1
30	सिक्किम	19903	12715	9105	8554	90.1	82.3	81.1	70.5
31	तमिलनाडु	2307357	1541278	1007359	929274	100.7	97.6	88.5	75.1
32	तेलंगाना	1430819	888823	544703	433144	102.8	84.9	80.5	64.2
33	त्रिपुरा	145261	86412	51070	41577	93.5	81.8	68.6	53.5
34	उत्तर प्रदेश	9256660	5085591	2654951	2207647	79.4	69.3	54.7	35.7
35	उत्तराखंड	462517	269639	169872	152542	87.3	81.4	74.2	62.7
36	पश्चिम बंगाल	3588460	2184761	1541471	1159521	86.6	83.4	87.5	51.4
	भारत	**51617371**	**30393187**	**17773447**	**13464079**	**85.7**	**78.9**	**64.6**	**47.5**

(स्रोत: यूडाईज़+ 2023-24)